मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
::मंत्रालय::
//**आदेश**//

भोपाल,दिनांक 01 अक्टूबर,2014

कमांक एफ–16–11/2014–बी–ग्यारहः राज्य शासन द्वारा परिशिष्ट–एक पर संलग्न औद्योगिक संवर्धन नीति, 2014 जारी की जाती है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

पृ. कमांक एफ–16–11/2014–बी–ग्यारहः भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014
प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय,भोपाल।
2/ प्रमुख सचिव,समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय,भोपाल।
3/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन.......................
(समस्त विभाग)।
4/ उद्योग आयुक्त,उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल।
5/ प्रबंध संचालक, म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि./ एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल।
6/ संभागायुक्त.......................................(समस्त)।
7/ कलेक्टर...................................... (समस्त)।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

उद्योग संवर्धन नीति, 2014

1. मध्य प्रदेश - आकर्षक औद्योगिक गंतव्य

मध्य प्रदेश क्षेत्रफल और आबादी, दोनों की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य ने निवेश और आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में देश में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। पिछले दशक में राज्य की मजबूत अधोसंरचना, अनुकूल नीति, निवेश मित्र परिवेश के फलस्वरूप औद्योगीकरण की गति में तेजी आई है, जिसके परिणामस्वरूप 2007-2008 से 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश की घरेलू उत्पाद वृद्धि 10.3 प्रतिशत के सीएजीआर पर रही है, जबकि इसी अवधि में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.15 प्रतिशत के सीएजीआर पर रहा है।

राज्य अनेक प्रकार के प्रोत्साहन प्रस्तावित करते हुए औद्योगिक वृद्धि को गति देने में अग्रणी रहा है और प्रेरक नीतियों के समर्थन से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तारित करने की शक्तियों का दोहन करने में समर्थ है। राज्य ने ऑटो तथा ऑटो पुर्जों, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, आईटी/आईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, फार्मास्युटिकल, अक्षय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और रसद तथा वेयर हाउसिंग सहित थ्रस्ट सेक्टर चिन्हित किए हैं, जो आर्थिक वृद्धि को आवश्यक गति प्रदान करते हैं।

मध्य प्रदेश देश के केन्द्र में स्थित है और देश के प्रमुख शहरों से इसका बेहतरीन जुड़ाव है। राज्य से गुजरने वाले 20 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ यहां 58,423 कि.मी. का कुल सड़क नेटवर्क है। राज्य सभी बड़े शहरों के साथ रेल सेवाओं से भली भांति जुड़ा है और मुम्बई में जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह तथा गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजारों से भी संबद्ध है। दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (DMIC) राज्य के 10 जिलों से गुजरता है, जो उच्च गति से भारत के बंदरगाहों तथा उत्तरी और पश्चिमी बाजारों तक पहुंच बढ़ाता है।

मध्य प्रदेश शांतिपूर्ण श्रमिक गतिविधि तथा स्थिर औद्योगिक परिवेश प्रदान करता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग खण्डों में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज (224), पॉलीटेक्निक (114), आईटीआई (415) और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं।

राज्य ने पिछले पांच वर्षों के दौरान निवेशों की सशक्त भावी रूपरेखा विकसित की है और यह एक समर्थ औद्योगिक परिवेश के विकास द्वारा अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित

करना जारी रखेगा, जिससे राज्य में सुस्थिर औद्योगीकरण के साथ आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी।

2. दूरदृष्टि

सुस्थिर औद्योगीकरण, रोजगार निर्माण और कौशल समूह उन्नयन के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों की आर्थिक समृद्धि और समग्र वृद्धि प्राप्त करना।

2.1 उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्य

उद्योग संवर्धन नीति 2014 के मुख्य उद्देश्य हैं :

i. नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाना।

ii. निवेशकों की सुविधा में सुधार लाना और व्यापार करने को आसान बनाना।

iii. मजबूत औद्योगिक विकास के लिए सहयोगी वातावरण बनाना।

iv. निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि में तेजी लाकर उच्चतर और सुस्थिर आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना।

v. निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु एक समर्थ और सहायक नीति परिवेश बनाना।

vi राज्य में समग्र औद्योगिक अधोसंरचना विकास अर्जित करना।

vii. पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी औद्योगिकी वृद्धि तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देना।

viii. सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना।

ix. मध्य प्रदेश के थ्रस्ट सेक्टरों (कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोटिव तथा ऑटो पुर्जो, पर्यटन, फार्मास्युटिकल, जैव प्रौद्योगिकी, आईटी/ आईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल और लॉजिस्टिक्स तथा वेयर हाउसिंग) में वृद्धि को बढ़ावा देना।

x. उद्यम विकास में पर्यावरण अनुकूल प्रावधानों को प्रोत्साहन।

xi. उद्यमियों, उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षक एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना।

2.2 औद्योगिक संवर्धन के लिए कार्यनीति

राज्य ने वित्तीय और गैर-वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से नीति उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक सामरिक रूपरेखा तैयार की है। ये नीति औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाएंगे और परिणामस्वरूप राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश में सारवान वृद्धि होगी।

मुख्य उपाय इन पर लक्षित हैं :

i. सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाकर सभी निवेशकों के लिए एक उपयुक्त परिवेश बनाना, ताकि वे आसानी से अपना व्यापार कर सकें।

ii. मध्य प्रदेश निवेश सुविधा अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत एकल बिन्दु प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर इसे अधिक प्रभावी बनाना।

iii. वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों से निवेश को आकर्षित करना।

iv. औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकारी और निजी भूमि उपलब्ध कराने में निवेशकों को सहायता प्रदान करना।

v. मौजूदा औद्योगिक विकास केन्द्रों में औद्योगिक अधोसंरचना का उन्नयन।

vi. स्थानीय उद्यमियों को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन।

vii. कौशल विकास प्रयासों द्वारा युवाओं में रोजगार बढ़ाना।

viii. प्रोत्साहनों और रियायतों के आकर्षक पैकेज के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना।

ix. सुगम विवाद निपटारा प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेशकों और स्थानीय लोगों के बीच सौहाद्र सुनिश्चित करना।

x. क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहन नीति के माध्यम से थ्रस्ट सेक्टर्स को बढ़ावा देना।

xi. उद्योगों के लिए भूमि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'भूमि बैंक' की स्थापना।

xii. निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से उद्योगों के लिए विश्व स्तरीय अधोसंरचना सुविधाओं का विकास।

xiii. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपयुक्त प्रावधान प्रदान करना तथा हरित प्रधान कार्यनीति के माध्यम से उद्योग को जल संरक्षण के उपायों के लिए प्रोत्साहन देना।

xiv. क्षेत्र विशेष में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर समान प्रकार के सूक्ष्म और लघु स्तर के उद्योगों के क्लस्टरों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

3. पात्रता

i. यह नीति मध्य प्रदेश शासन के अधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक प्रभावी रहेगी।

ii. निवेशकों को इस नीति के तहत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए एमपी ट्राईफेक द्वारा विकसित एकल बिन्दु प्रणाली में अपने प्रस्ताव पंजीकृत कराने होंगे और एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। इस पंजीकरण संख्या को ऑन लाईन ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे निवेशक किसी भी दिये गये समय पर अपने निवेश प्रस्ताव की स्थिति ज्ञात कर सके।

iii. ऐसी इकाइयां जिनके लिए उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पहले मंजूर किया गया है या जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक इस नीति की अधिसूचना के पहले का है, उन्हें इस नीति के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने की पात्रता नहीं होगी, लेकिन वे उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत, जैसी भी स्थिति हो, सुविधाओं हेतु पात्र होगी।

iv. इस नीति की अधिसूचना के बाद, किन्तु उद्योग संवर्धन नीति (IPP), 2010 की समापन तिथि से एक वर्ष के अंदर (अर्थात 31 अक्टूबर, 2016 तक) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने वाली इकाइयों को वर्तमान नीति या आईपीपी 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता होगी; तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।

v. वे इकाइयाँ जो कंडिका क्रमांक-3(iii) व 3(iv) के परिधि में नहीं आती है, वे केवल इस नीति के तहत लाभ पाने की पात्र होगी।

4. व्यापार करने की सुविधा को बढ़ावा देकर व्यापार के माहौल में सुधार

इस नीति का लक्ष्य राज्य के विभिन्न विभागों में विनियामक सुधारों और सरलीकरण की प्रक्रियाओं को जारी रख कर मध्य प्रदेश में व्यापार के परिवेश में सुधार लाना है।

4.1 एकल खिड़की प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

4.1.1 निवेश प्रस्तावों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए "इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर" की नियुक्ति की जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर निवेश की कुल लागत और परियोजना की प्रकृति के आधार पर प्रकरणवार पृथक-पृथक निवेशकों हेतु विशेष रूप से नामित किए जाएंगे।

4.1.2 निजी क्षेत्र के निवेशों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश की एकल खिड़की प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

4.1.3 निवेशकों को एकल बिन्दु इंटरफेस प्रदान करने हेतु एक समयबद्ध ऑनलाइन निवेशक निगरानी और सुविधा प्रणाली आरंभ की जाएगी।

4.1.4 एकल खिड़की प्रणाली को राज्य की अधोसंरचना के बारे में जानकारी, निवेश आवेदन प्रक्रियाओं और शिकायत निपटारा के बारे में जानकारी का निधान बनाया जाएगा।

4.1.5 एकल खिड़की प्रणाली से विभिन्न विभाग प्राधिकारियों के साथ मुलाकात की जरूरत कम करते हुए सभी निवेशकों को एक पारदर्शी एकल बिन्दु समाधान दिया जायेगा।

4.1.6 एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण द्वारा जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र (DTIC) को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

4.1.7 विभिन्न विभागों की 18 सेवाओं की अनुमति एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

4.1.8 राज्य एकल खिड़की समाधान प्रक्रिया में इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विशेषताएं भी शामिल होंगी, जैसे

- निवेशकों को एसएमएस/ई-मेल एलर्ट

- श्रम विभाग, म. प्र. विद्युत वितरण कंपनियों, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टरों के साथ संपर्क।
- भुगतान गेटवे
- एमआईएस डैशबोर्ड

4.1.9 यह पोर्टल सूचना के प्रसार हेतु एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा और राज्य में निवेश के निर्णयों या निवेश कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले नियमों, विनियमों और आदेशों से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा।

4.2 निवेश प्रोत्साहन पर मंत्री परिषद समिति (CCIP)

4.2.1 मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में और वित्त, वाणिज्यिक कर तथा उद्योग विभाग के मंत्रियों को सदस्य के रूप में लेकर सीसीआईपी का गठन किया गया है। सीसीआईपी को उद्योग संवर्धन से संबंधित सभी मुद्दों पर कार्यवाही का अधिकार होगा। सीसीआईपी को स्पष्ट रूप से इस नीति के प्रावधानों से परे आवश्यकतानुसार बनाए गए सहायता पैकेज की मंजूरी का पूर्ण अधिकार होगा। उक्त पैकेज केवल मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा।

4.2.2 सीसीआईपी द्वारा वित्तीय रियायतें, कर में छूट, सरकारी देयताओं और रॉयल्टी आस्थगन तथा अन्य प्रोत्साहनों को विशेष पैकेज के भाग के रूप में स्वीकृति दी जा सकेगी।

4.2.3 नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने और व्याख्या के लिए भी सीसीआईपी सक्षम होगी ।

4.2.4 निवेशक के अनुरोध पर या स्वतः संज्ञान लेकर, सीसीआईपी मेगा स्तर की औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत सुविधाओं के पैकेज पर पुनर्विचार कर सकेगी।

4.2.5 एमपी ट्रायफेक सीसीआईपी के लिए एक सचिवालय के तौर पर कार्य करेगा और यह इन प्रोत्साहनों को प्रदान करने की नोडल एजेंसी होगा।

4.3 राज्य स्तरीय साधिकार समिति

4.3.1 राज्य स्तरीय साधिकार समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी और इस समिति में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग होंगे। प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड समिति के पदेन सचिव होंगे।

4.3.2 अंतर्विभागीय समन्वय, निवेश प्रस्तावों की निगरानी और वृहद एवं मेगा स्तर की इकाईयों हेतु सीसीआईपी द्वारा स्वीकृत समग्र विशेष पैकेज अंतर्गत प्रोत्साहन वितरण के अनुमोदन का कार्य साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा। एक बार सुविधाएं अनुमोदित होने के बाद प्रबंध संचालक, ट्रायफेक इसे वितरित करने हेतु सक्षम होंगे।

4.3.3 शीघ्र क्रियान्वयन और निवेश प्रस्तावों का समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश निवेश सुविधा अधिनियम, 2008 के तहत नियमों और प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा।

4.3.4 जिला स्तरीय समिति (DLC) राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुमोदित नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण सहित मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिक प्रभावी और सशक्त बनाई जायेगी।

4.4 विनियामक सरलीकरण

राज्य ने निवेश के माहौल को निवेशकों के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए अनेक प्रयास पहले ही किए हैं। आवश्यकता अनुसार इन प्रक्रियाओं को सरलीकृत किये जाने तथा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

4.4.1 राज्य में व्यापार करने के लिए विभिन्न विभागों की कानूनी और प्रक्रियागत आवश्यकताओं की एक सूची बनाई गई है।

4.4.2 अनिश्चितता को कम करने के लिए प्रक्रियाओं, अनुमोदनों, अनुमतियों, लाइसेंसों को और भी युक्ति संगत बनाया जाएगा।

4.4.3 अप्रदूषणकारी छोटे और मध्यम उद्यमों को उनकी इकाइयों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणन से छूट दी जाएगी।

4.4.4 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार प्रदूषण करने वाली इकाइयों को संशोधित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

4.4.5 राज्य सुनिश्चित करेगा कि नीति अधिसूचना की तिथि के तीन माह के अंदर विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा राज्य निवेश संवर्धन नीतियों के सभी लाभ अधिसूचित किए जाएं।

4.4.6 राज्य द्वारा कारखानों/उद्योगों के नक्शों की स्वीकृति/संशोधनों को अनुमोदित करने का अधिकार डीटीआईसी को देने पर विचार किया जाएगा।

4.4.7 प्रति वर्ष निवेशक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल मूल्य संवर्धित कर (VAT) और केन्द्रीय विक्रय कर (CST) की पात्रतानुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण के बाद की जाएगी।

4.4.8 राज्य द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा भेजे गए सभी दावों के अनुमोदन का अधिकार डीएलसी को सौंपने पर विचार किया जाएगा।

4.4.9 उपयुक्त सरकारी/निजी भूमियों को चिन्हित करते हुए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए राज्य में 'भूमि बैंक' की स्थापना की जाएगी।

4.4.10 भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन और भूमि आवंटन प्रणाली आरंभ की जाएगी।

4.4.11 एमपीट्रायफेक सभी आवेदन प्रक्रियाओं और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा।

4.5 राज्य उद्योग सलाहकार परिषद को सुदृढ़ बनाना

4.5.1 राज्य उद्योग सलाहकार परिषद का गठन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में

सार्वजनिक निजी वार्ता को मजबूत बनाने और उद्योग के रुझानों, नीतिगत सुझावों तथा विनियामक सुधारों पर नीति निर्माताओं को सलाह देने के लिए किया गया है।

4.5.2 राज्य के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष हैं। राज्य के वित्त मंत्री और ऊर्जा तथा आईटी मंत्री, आवास और पर्यावरण, कृषि, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के साथ उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल इसके सदस्य बनाए गए हैं।

5. समावेशी वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा समावेशी औद्योगिक वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- अधिकतम विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जनशक्ति आवश्यकताओं के निराकरण हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों पर बल।
- क्लस्टर की भावी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधोसंरचना सुविधाओं के साथ नए क्लस्टरों का विकास।
- अनुषंगी इकाइयों की बढ़ती जरूरत पूरी करने के लिए मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों की अधोसंरचना सुविधाओं को उन्नत बनाना।
- मातृ इकाई (Mother Unit) के आस पास नई विक्रेता (Vendor) इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर अनुषंगीकरण को बढ़ावा देना।

5.1 क्लस्टर आधारित रणनीति

5.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास के परिप्रेक्ष्य में क्लस्टर आधारित अप्रोच की मान्यता लगातार बढ़ी है। इनके महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने क्लस्टर विकास पर विशेष बल दिया है।

5.1.2 प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के साथ नए औद्योगिक क्लस्टरों का विकास

किया जाएगा।

5.1.3 मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों में अधोसंरचना सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा ताकि क्लस्टरों में औद्योगिक इकाइयों की बढ़ती जरूरतें पूरी की जा सकें।

5.2 अपात्र उद्योग

5.2.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अपात्र उद्योगों की सूची की समीक्षा की है तथा इस अपात्र सूची में उद्योगों की संख्या को 52 से घटाकर मात्र 19 किया गया है।

5.2.2 अपात्र सूची में सूचीबद्ध उद्योगों के अलावा सभी उद्योगों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन पाने की पात्रता और योग्यता है।

5.3 विपणन सहायता

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को व्यापार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के विचार से राज्य ने विक्रेताओं तथा एंकर इकाइयों के बीच सह संबंध की सुविधा देने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप किए हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित उपायों द्वारा स्थानीय विक्रेताओं की वृद्धि को बढ़ावा देने की इच्छुक है :

5.3.1 उद्योग संचालनालय और विभाग के निगम राज्य के अंदर और बाहर राज्य के निवेश के लिए उद्योगपतियों/उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए एक समन्वित अभियान चलाएंगे।

5.3.2 औद्योगिक व्यापार मेले आयोजित किए जाएंगे तथा मध्य प्रदेश व्यापार मेला प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से इनमें राज्य की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

5.3.3 राज्य द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विपणन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जैसे क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, व्यापार मेले, रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन। सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और बड़ी मातृ इकाइयों को इन विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.3.4 मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) द्वारा एंकर और विक्रेता इकाइयों के बीच कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

6. औद्योगिक अधोसंरचना

6.1 भूमि पर रियायतें

भूमि की उपलब्धता स्थायी औद्योगिक विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य सरकार के पास औद्योगिक विकास हेतु सरकारी और निजी भूमि, दोनों की पर्याप्त उपलब्धता है। औद्योगीकरण की दर को बढ़ाने के लिए राज्य शासन भूमि की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित उपायों पर विचार करेगी :

6.1.1 विकसित औद्योगिक भूमि प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर निवेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी।

6.1.2 यदि निवेशक अविकसित भूमि पर परियोजना स्थापित करने का इच्छुक है तो सीसीआईपी उन्हें निर्धारित प्रब्याजी दर पर रियायत देने पर विचार कर सकेगी।

6.1.3 यदि निवेशक परियोजना स्थापना हेतु निजी भूमि अधिगृहित करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है तो मध्यम, वृहद एवं मेगा इकाईयों को बिजली, पानी और सड़क अधोसंरचना विकास के लिए प्रत्येक हेतु अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक, 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी।

6.1.4 आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भूमि आवंटन के नियमों का और अधिक सरलीकरण किया जाएगा।

6.2 डीएमआईसी और निवेश कॉरीडोर्स का लाभ

6.2.1 डीएमआईसी नोड के तहत चिन्हित की गई जल्दी आरम्भ होने वाली (Early Bird) परियोजनाओं, जैसे नॉलेज सिटी उज्जैन, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स केन्द्र, इंदौर-पीथमपुर आर्थिक कॉरीडोर और विद्युत उपकरण निर्माण केन्द्र, राजगढ़ आदि का क्रियान्वयन किया जाएगा।

6.2.2 आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने

हेतु राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ राज्य ने महत्वपूर्ण निवेश कॉरीडोर बनाए हैं, जैसे भोपाल-बीना, भोपाल-इंदौर, जबलपुर-कटनी-सिंगरौली और ग्वालियर-शिवपुरी-गुना।

6.2.3 राज्य में अधोसंरचना बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं जैसे एयर कार्गो टर्मिनल, एकीकृत कृषि/खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, एकीकृत लॉजिस्टिक्स केन्द्र, एकीकृत टाउनशिप, गैस आधारित औद्योगिक पार्क, ग्रामीण पार्क, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पार्क, नॉलेज सिटी आदि विकसित किये जाएगे।

6.3 अधोसंरचना विकास के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहन

6.3.1 निजी निवेशकों को आकर्षित करने तथा गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना और सेवाओं की प्रदायगी के लिए दक्षता बढ़ाने हेतु एक समर्थनकारी नीति और नीतिगत प्रक्रिया विकसित की जाएगी।

6.3.2 समर्थनकारी पैकेज की सहायता से निजी औद्योगिक क्षेत्रों/एस्टेट या तो पीपीपी विधि/उद्यमियों/कंपनियों/सहकारिता द्वारा निवेशकों को प्रोत्साहन देने के प्रयास किये जाएंगे।

6.3.3 राज्य में विनिर्माण उद्योगों से संबंधित औद्योगिक पार्कों, फूड पार्कों, उच्च तकनीक पार्कों और किसी भी अन्य पार्कों से संबंधित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को अधोसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ तक सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को इस शर्त के साथ उपलब्ध कराया जाएगा कि इस प्रकार विकसित औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कम से कम 50 एकड़ हो तथा उसमें पांच औद्योगिक इकाईयां हो। इस प्रकार के औद्योगिक पार्क का विकास करने वाली एजेन्सी/निवेशक को स्वीकृति के समय सूचित की गई निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर परियोजना पूर्णता की दिनांक से एक वर्ष के भीतर सहायता की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6.4 औद्योगिक अधोसंरचना की योजना और वृद्धि

6.4.1 विद्यमान और नए क्षेत्रों में अधोसंरचना की योजना उद्योग की मांगों के अनुसार बनाई जाएगी।

6.4.2 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जाएगा तथा आवश्यक औद्योगिक अधोसंरचना के साथ नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

6.4.3 संतुलित और साम्य वृद्धि के लिए सभी क्षेत्रों में औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया जाएगा।

6.4.4 औद्योगिक मूल संरचना का विकास भौगोलिक सामर्थ्य और क्षेत्र की मांग के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

6.4.5 औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना के विकास के बाद भूमि का आवंटन किया जाएगा।

6.4.6 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अधोसंरचना के विकास के लिए उत्तम संभाव्यता वाले क्षेत्रों को चुना जाएगा। इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी/औद्योगिक विकास निगमों के साथ अधोसंरचना का विकास किया जाएगा।

6.4.7 नए/विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां 100 एकड़ या इससे अधिक भूमि का विकास किया जाना है, कुल भूमि की अधिकतम 20 प्रतिशत भूमि आवासीय/वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आरक्षित की जाएगी।

6.4.8 आवश्यक सामाजिक अधोसंरचना सुविधाएं जैसे अस्पताल/डिस्पेंसरी, स्कूल, प्रशिक्षण केन्द्र, झूलाघर, आवास, शॉपिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर, मनोरंजन केन्द्र, विश्राम गृह, श्रम कल्याण केन्द्र, होटल व वेयरहाऊस आदि या तो विभाग के निगमों या निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।

6.4.9 सभी प्रमुख औद्योगिक पार्कों में ट्रक टर्मिनलों को बढ़ावा देना। निजी औद्योगिक पार्कों के मामले में डेव्हलपर को पर्याप्त ट्रक पार्किंग मार्ग बनाना बंधनकारी होगा।

6.4.10 बड़ी परियोजनाओं को आवश्यक विक्रेता विकास समर्थन देने हेतु नए नॉन - पीपीपी औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए भूमि का कम से कम 20 प्रतिशत भाग आरक्षित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

6.4.11 सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बहु मंजिला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स निर्मित किए जाएंगे, ताकि इनसे संभाव्य औद्योगिक क्षेत्रों में विभाग के निगमों या निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता द्वारा भूमि का अनुकूलतम उत्पादक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

6.4.12 500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भाग वेयर हाउसिंग सुविधाओं के विकास हेतु आवंटित किया जाएगा।

6.4.13 भूमि के प्रबंधन और आवंटन से संबंधित नियम सरलीकृत और निवेशकों के अनुकूल बनाए जाएंगे।

6.4.14 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में लैण्ड यूज में किसी भी प्रकार के किये जाने वाले परिवर्तन का अनुमोदन नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।

7. कौशल विकास

- मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना स्थायी औद्योगिक विकास पाने का एक प्रमुख आधार है। अतः राज्य ने कौशल विकास को एक मुख्य फोकस क्षेत्र के रूप में लिया है तथा एक अन्य नोडल एजेंसी, मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (MPCVET) की स्थापना की है। राज्य सरकार ने राज्य में प्रशिक्षण अधोसंरचना का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-
- सरकारी आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना।
- मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में मेगा आईटीआई की स्थापना।

- कौशल विकास के दायरे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल प्रोत्साहन वाली कौशल विकास नीति का निर्धारण करने के परिणामस्वरूप अनेक निजी आईटीआई और पॉलीटेक्निक की संख्या में वृद्धि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी के दोहन के लिए, विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- सभी जिलों में जिला अग्रणी बैंक के सहयोग से ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की स्थापना।
- उद्योग की जरूरतें पूरी करने की दिशा में लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम।

8. हरित औद्योगीकरण

8.1 लघु, मध्यम, वृहद एवं मेगा उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि), प्रदूषण नियंत्रित युक्तियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, जल संरक्षण/दोहन आदि की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा।

8.2 मध्य प्रदेश शासन हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, अपशिष्ट में कमी और पुनर्चक्रण आदि के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने हेतु सहयोग करेगा।

8.3 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदूषण पैदा करने वाले ऐसे उद्योगों को, जो शहरी सीमा/नगर निगम सीमा/महानगर क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, उन्हें निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में पुनः स्थापित किये जाने हेतु सुविधा दी जायेगी।

8.4 मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी विद्यमान और नए औद्योगिक क्षेत्रों में जल दोहन और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.5 विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और क्लस्टरों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से बहिःस्राव उपचार (Effluent Treatment) संयंत्रों और खतरनाक अपशिष्ट उपचार (Hazardous Waste Treatment) संयंत्रों की स्थापना करने हेतु सुविधा दी जाएगी।

9. स्थानीय विक्रेताओं (Vendor Units) के विकास के लिए अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन

9.1 राज्य सरकार औद्योगिक परिवेश के आपूर्ति पक्ष को मजबूत बनाने के विचार से मातृ इकाइयों के पास अनुषंगी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी।

9.2 इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, रसायन, पेट्रोरसायन तथा उर्वरक, फार्मास्युटिकल, इंजीनियरिंग, चमड़े और चमड़े की वस्तुओं, वस्त्र उद्योग तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई के परिसर में या इसके पचास कि. मी. की परिधि के अंदर नई विक्रेता इकाइयों की स्थापना करने एवं मातृ इकाई में इनके उत्पादों की कम से कम 75 प्रतिशत की बिक्री होने पर, इन्हें मातृ इकाई को मिलने वाले प्रोत्साहनों के समान पैकेज की पात्रता होगी। मातृ इकाई द्वारा विक्रेता इकाई को भूमि 'सबलीज' पर दी जा सकेगी परंतु मातृ इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि नयी विक्रेता इकाई 'सबलीज' हेतु केवल तभी पात्र होगी जब वह (विक्रेता इकाई) उपरोक्त मापदण्ड की पूर्ति करे।

10. वित्तीय सहायता

10.1 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए लागू हैं। सेवा क्षेत्रों में इकाइयों के लिए पृथक प्रोत्साहन/रियायतें लागू होंगी, जो संबंधित विभागों की प्रचलित नीति के अनुसार होंगी।

10.1.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसी दो नीतियाँ हों जो एक ही प्रकार का प्रोत्साहन/रियायत प्रदान करती हों तो निवेशक केवल एक ही नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

10.1.2 कोई भी एमएसएमई जिसने 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' या 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त की हो, वह उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत समान प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। शेष सुविधाएं उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राप्त की जा सकेगी।

10.1.3 परन्तु, यदि कोई विनिर्माण इकाई इस नीति के अंतर्गत पात्रता के

अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है तो वह इस शर्त के साथ ऐसा कर सकेगी कि वह उनके द्वारा किये गये निवेश से ज्यादा अनुदान प्राप्त न कर सके ।

10.2 इकाइयों की परिभाषा :

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	विवरण
1	सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपए से कम का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम।
2	लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपए और 5 करोड़ रुपए के बीच का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम।
3	मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र और मशीनरी में 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए के बीच का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम।
4	वृहद स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए और इससे अधिक का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम।
5	मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई	एक इकाई जो इससे अधिक का निवेश करती है : • संयंत्र और मशीनरी में 100 करोड़ रुपए • संयंत्र और मशीनरी में 25 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल व लघु वनोपज, पर्यटन और आईटी शामिल हैं।

10.3 प्रोत्साहनों की पात्रता के प्रयोजन के लिए संयंत्र और मशीनरी का अर्थ है संयंत्र और मशीनरी, भवन और शेड में किया गया निवेश, किंतु इसमें भूमि और रिहायशी इकाइयां (dweling units) शामिल नहीं होंगी।

10.4 **पूंजी अनुदान** : संयंत्र और मशीनरी पर अनुदान केवल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पात्र इकाइयों को दी जाएगी :

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम राशि (लाख रुपए)
1	सूक्ष्म और लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	15	15 लाख रुपए की सीमा के अंदर

10.5 **ब्याज अनुदान :** पात्र इकाइयों को निम्नानुसार सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज अनुदान मिलेगा :-

इकाई का प्रकार	ब्याज अनुदान
सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 3 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 4 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 5 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए

10.6 **प्रवेश कर छूट :** प्रवेश कर से निम्नानुसार छूट दी जाएगी :

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	प्रवेश कर छूट
1	सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद् और मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई	▪ संयंत्र और मशीनरी में 500 करोड़ रु. तक के निवेश के लिये 5 वर्ष ▪ संयंत्र और मशीनरी में 500 करोड़ रु. से अधिक के निवेश के लिये 7 वर्ष

- प्रवेश कर के प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक विकास केन्द्र को एक ही स्थानीय क्षेत्र (Local Area) मान्य कर इसके क्षेत्रान्तर्गत एक इकाई से दूसरी इकाई द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल पर प्रवेश कर की देयता समाप्त करने के संबंध में प्रवेश कर अधिनियम में आवश्यकतानुसार प्रावधान किये जा सकेंगे।

- यदि कोई उद्योग अर्द्धनिर्मित उत्पाद को किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई में इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग/फिनिशिंग के लिये अस्थायी रूप से भेजता है तथा वह माल उक्त प्रक्रिया के पश्चात् सम्बन्धित औद्योगिक इकाई में वापस प्राप्त होकर विक्रय योग्य उत्पाद निर्मित होता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं के स्थानान्तरण में प्रवेश कर की देयता नहीं होने के संबंध में प्रवेश कर अधिनियम में आवश्यकतानुसार प्रावधान किये जायेंगे।
- ऐसे उद्योगों, जो भौतिक रूप से एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में स्थापित अथवा विस्तारित है, को प्रवेशकर के प्रयोजन हेतु एक ही स्थानीय क्षेत्र में स्थापित होना मान्य करने के संबंध में प्रवेश कर अधिनियम में आवश्यकतानुसार प्रावधान किये जायेंगे।
- प्रवेश कर की दरों का अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों में प्रचलित दरों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक युक्तियुक्तकरण किया जायेगा।

10.7 **मूल्य सवंर्धित कर (VAT) और केन्द्रीय विक्रय कर (CST) सहायता :** पात्र उद्यमों (टैक्सटाईल इकाइयों को छोड़कर) को नीचे दी गई सीमा तक इनके द्वारा जमा किए गए मूल्य संवर्धित कर और केंद्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चामाल की खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की राशि पर इनपुट टैक्स रिबेट समायोजित करने के बाद प्रतिपूर्ति की जाएगी :

क्र. सं.	**इकाई का प्रकार**	**"*प्राथमिकता विकासखण्ड" के लिये पात्रता**	**अन्य सभी शेष जिलों के लिए पात्रता**
1	सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यम जिनमें कम से कम 1 करोड़ रूपये का स्थाई पूंजी निवेश हो तथा मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	7 वर्षों की अवधि के लिए 50 प्रतिशत	5 वर्षों की अवधि के लिए 50 प्रतिशत
2	वृहद् एवं मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई	10 वर्षों की अवधि के लिए 75 प्रतिशत	7 वर्षों की अवधि के लिए 75 प्रतिशत

*प्राथमिकता विकासखण्ड : नीति अधिसूचना जारी दिनांक को ऐसे विकासखण्ड, जहां कोई वृहद/मेगा स्तर की

औद्योगिक इकाई नहीं है।

10.7.1 इकाई को प्रदत्त सहायता राशि, इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश से अधिक नहीं होगी ।

10.8 **विद्युत शुल्क में छूट** : सभी पात्र इकाइयों को, जिनके पास राज्य में किसी भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2019 तक दिया गया 'हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन है, उन्हें ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-23-2013-तेरह, मध्यप्रदेश (असाधारण) के राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्रकाशित, के अनुसार विद्युत शुल्क (Duty) में निम्नानुसार छूट दी जाएगी :

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	छूट की अवधि
1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, वृहद् और मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई	• 33 केवी कनेक्शन के लिए : 5 वर्षों की अवधि तक • 132 केवी कनेक्शन के लिए : 7 वर्षों की अवधि तक • 220 केवी कनेक्शन के लिए : 10 वर्षों की अवधि तक

10.9 मण्डी शुल्क (**Fee**) में छूट : सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिये मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाइयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगे।

10.10 मेगा निवेश परियोजनाओं की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) द्वारा प्रकरण में विशेष आर्थिक और अन्य पैकेज की स्वीकृति दी जा सकेगी।

10.11 वित्तीय सहायता - विशेष टेक्सटाईल पैकेज

10.11.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की वस्त्र उद्योग इकाइयों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) में अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक, पात्र निवेश का दस प्रतिशत निवेश अनुदान दिया जायेगा।

10.11.2 ब्याज अनुदान :

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	ब्याज अनुदान
1	रू. 25 करोड़ तक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए	टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से, रू. 5 करोड़ की सीमा तक।
2	रू. 25 करोड़ से अधिक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए **या** विद्यमान स्वतंत्र इकाई जिसके द्वारा विस्तार/ शवलीकरण हेतु टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में विद्यमान स्थाई पूंजी निवेश का कम से कम 30 प्रतिशत (जो रू. 25 करोड़ से कम नहीं हो) या रू. 50 करोड़, जो भी कम हो नवीन निवेश किया हो	टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	ब्याज अनुदान
3	नवीन कम्पोजिट इकाई* जिसके द्वारा रू. 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो **या** विद्यमान स्वतंत्र इकाई के शवलीकरण से निर्मित कम्पोजिट इकाई	टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 7 प्रतिशत की दर से

* किसी इकाई को बिना उसके कार्यस्थल के दृष्टिगत (कार्यस्थल मध्यप्रदेश राज्य के अंदर एक ही स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर हो सकता है) कम्पोजिट इकाई अंतर्गत श्रेणीकरण हेतु निम्नलिखित में से कोई एक गतिविधि करनी होगी और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के इनपुट के रूप में प्राथमिक उत्पाद (जैसे यार्न) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा :

- ✓ धागे और प्रसंस्करण गतिविधियों का उपयोग करते हुए कपड़ा बनाना (वीविंग/निटिंग और प्रसंस्करण गतिविधियां)
- ✓ कपड़ा प्रसंस्करण और विनिर्माण (प्रसंस्करण और तैयार वस्त्र)
- ✓ धागा विनिर्माण - धागे का उपयोग करते हुए परिधान (Apparel) विनिर्माण, कपड़ों का उपयोग करते हुए प्रसंस्करण और परिधान विनिर्माण (स्पिनिंग-वीविंग/निटिंग-प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग)
- ✓ मेड-अप आर्टिकल्स

10.11.3 **प्रवेश कर छूट :**

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	छूट
1	प्लांट एवं मशीनरी में रू. 100 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली इकाई के लिए (कण्डिका 10.3 में परिभाषित)	पांच वर्ष हेतु
2	प्लांट एवं मशीनरी में रू. 100 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली इकाई के लिए (कण्डिका 10.3 में परिभाषित)	सात वर्ष हेतु

10.11.4 **वैट और सीएसटी सहायता :**

रूपये एक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाई को उसके वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से आठ वर्ष के लिए, कुल मिलाकर टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की सीमा तक, निम्नानुसार उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जायेगी :-

- ✓ **कॉटन जीनिंग** - जीनिंग कॉटन को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य।
- ✓ **स्पिनिंग मिल** - कॉटन यार्न को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये अभिकलित सकल सीएसटी के समतुल्य।
- ✓ **वस्त्र विनिर्माण इकाई** (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य; एवं
- ✓ **रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई** - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी के समतुल्य।

परंतु, उक्त सहायता राशि म. प्र.शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि से अधिक नहीं होगी।

10.11.5 अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 25 लाख होगी।

11. विस्तार/शवलीकरण/तकनीकी उन्नयन

11.1 स्थापित वृहद् और मध्यम औद्योगिक इकाइयों, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में विद्यमान निवेश का 30 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपए (इनमें से जो कम है) निवेश विस्तार/ शवलीकरण/तकनीकी उन्नयन पर किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाइयों के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

11.2 स्थापित छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में विद्यमान निवेश का न्यूनतम 50 प्रतिशत (जो 25 लाख रुपए से कम नहीं हो) निवेश किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाइयों के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

11.3 सूक्ष्म और लघु फार्मास्युटिकल विनिर्माण उद्यमों को नई इकाइयों के समकक्ष निवेश में सहायता मिलेगी यदि ये इकाइयां अतिरिक्त 10 लाख रुपए या विद्यमान निवेश का 50 प्रतिशत राशि संयंत्र और मशीनरी (इनमें से जो अधिक हो) विस्तार/शवलीकरण के लिये निवेश करती हैं।

11.4 उपरोक्त सुविधा औद्योगिक इकाइयों को केवल पिछली संस्थापित क्षमता से अधिक का उत्पादन करने पर उपलब्ध होगी। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो इकाई को सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

11.5 इकाइयों को विस्तार/शवलीकरण/तकनीकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	पात्रता
1	लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई	उत्पादन की तिथि से पिछले 2 वर्षों और अगले एक वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश
2	मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाई	उत्पादन की तिथि से पिछले 3 वर्षों और अगले 2 वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश

क्र. सं.	इकाई का प्रकार	पात्रता
3	वृहद् स्तर की औद्योगिक इकाई	उत्पादन की तिथि से पिछले 3 वर्षों और अगले 3 वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश

12. बीमार इकाइयों का पुनर्जीवन

12.1 बीमार औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित किया जाएगा और जिला स्तर पर डेटाबेस बनाया जाएगा।

12.2 राज्य सरकार परिशिष्ट - I : 'विशेष पैकेज 2014' में बताए गए अधिग्रहण/खरीद के बाद बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों को पुनर्संचालित करने पर सुविधाएं/रियायतें देगी।

12.3 राज्य में स्थित वृहद् और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन/पुनर्वास हेतु सुविधाएं/रियायतें परिशिष्ट - II : 'पॉलिसी पैकेज 2014' के अनुसार दी जाएंगी।

12.4 मध्य प्रदेश बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना 2014 परिशिष्ट - III में बताए गए अनुसार लघु श्रेणी के बीमार उद्योगों के लिए लागू होगी।

12.5 परिशिष्ट - IV में दी गई अपात्र उद्योगों की सूची के लिए बीमार इकाइयों को प्रदत्त सुविधाएं/रियायतें लागू नहीं होंगी।

13. आर्थिक रूप से बाधित (constrained) इकाइयों के लिए राहत

13.1 सरकारी देयताओं का आस्थगन : वित्तीय समापन प्राप्त करने के बाद भी वित्तीय बाध्यताओं (constrained) का सामना कर रही परियोजनाओं को दीर्घ अवधि तक जीवित रहने के लिए सरकारी समर्थन की जरूरत हो सकती है। वर्तमान में बीमार इकाइयों के लिए पैकेज उपलब्ध है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय तनावग्रस्त इकाइयों जैसे विनिर्माण, खनन और उत्खनन, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इन इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन देने का प्रावधान है :

13.1.1 सरकारी देयताओं रॉयल्टी और सरकारी ड्यूटी सहित (करों को छोड़कर), को अधिकतम 12 वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रखने की अनुमति दी जाएगी। यदि कानून के प्रावधानों के कारण आस्थगन संभव न हो तो, ऐसी इकाई राशि जमा करने और उसे ऋण के रूप में समतुल्य अवधि के लिए वापसी हेतु दावा कर सकने हेतु पात्र होगी।

13.1.2 इस विषय में अग्रणी वित्तीय संस्थान की सिफारिश से उक्त इकाइयों को वित्तीय बाध्यता (constrained) के तहत पात्र माना जाएगा।

13.1.3 कण्डिका 13.1.1 की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परियोजना स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) या इसके प्रवर्तक, कम से कम मांगी गई आस्थगित अवधि की वैधता के साथ, देय राशियों की 110 प्रतिशत की बैंक गारंटी जमा करेंगे। वैकल्पिक रूप से, वे परियोजनाएं जिनमें राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से परियोजना का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है, ऋणकर्ताओं, परियोजना प्रवर्तकों और राज्य सरकार या इसकी एजेंसी के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिस पर लिखा जाएगा कि आस्थगित राशि के लिए परियोजना प्रवर्तक द्वारा चूक होने के मामले में, इसे परियोजना में देय भुगतान के प्रति समायोजित किया जाएगा। ब्याज की राशि की गणना एसबीआई की आधार दर के अनुसार की जाएगी, जिसे उक्त सभी दावों में आस्थगन/ऋण अवधि के लिए वसूला जाएगा।

13.1.4 यह सुविधा केवल 500 करोड़ रुपए से अधिक के मेगा स्तर के निवेश के लिए लागू होगी।

13.1.5 यह सुविधा उस समयावधि में लागू नहीं होगी, जिसमें इकाइयों द्वारा वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ उठाया जा रहा है।

13.1.6 यह सुविधा व्यापार और सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होगी।

<u>परिशिष्ट - I</u>

1. बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का "विशेष पैकेज, 2014"

मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आय.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने, बीआईएफआर द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योगों को ऑफिशियल लिक्विडेटर से क्रय कर, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीज़ इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था से क्रय कर तथा राज्य शासन के निगमों एमपी स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित वृहद/मध्यम उद्योग इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित कर पुनर्वासित करने पर पर **"विशेष पैकेज"** के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी :-

1.1 गैर वित्तीय :-

1.1.1 प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने में शासन का श्रम विभाग हर संभव मदद करेगा, जिससे उद्योग का संचालन सुचारु रुप से चले।

1.1.2 शासन के विभिन्न विभागों से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत उद्योग विभाग द्वारा यथोचित सहायता दी जावेगी।

1.1.3 आवश्यकतानुसार पुनर्वासित इकाई को सहायता उपक्रम घोषित किया जा सकेगा।

1.2 वित्तीय :-

1.2.1 अधिग्रहण/क्रय की जाने वाली इकाई को पूर्व में स्वीकृत, वाणिज्यिक कर (विक्रय कर एवं क्रय कर), प्रवेश कर की छूट/आस्थगन की सुविधा एवं मूल्य संवर्धित कर (VAT) तथा केन्द्रीय विक्रय कर की प्रतिपूर्ति की सुविधा की अवधि यदि शेष हो तो, अधिग्रहण दिनांक से ऐसी शेष अवधि के लिये उक्त

सुविधा उपलब्ध रहेगी। उपलब्ध कराई गई सहायता प्लांट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की आनुपातिक सीमा तक देय होगी।

1.2.2 यदि अधिग्रहित/क्रय पूर्व इकाई पर वाणिज्यिक कर (विक्रय कर एवं क्रय कर), प्रवेश कर, वैट का देय बकाया हो तो अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में वास्तविक वाणिज्यिक कर/वैट/प्रवेश कर अर्थात् असेस्ड टैक्स राशि, एक मुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किया जायेगा अन्यथा बकाया वाणिज्यिक कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण दिनांक से 6 अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जायेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलंब होता है तो उसपर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. की दर से ब्याज देना होगा।

"बकाया वाणिज्यिक कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को किश्तों में भुगतान की सुविधा, इकाई द्वारा देय किश्तों की राशि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जमा करने तथा पब्लिक लि. कम्पनी के मामले में कार्पोरेट गारंटी एवं भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने पर उलपब्ध कराई जायेगी। यह पोस्ट डेटेड चेक कम्पनी के प्रबंध संचालक अथवा मेनेजिंग पार्टनर (जो भी लागू हो) द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिये।

ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किये जाने की सुविधा का लाभ, संबंधित इकाई को एक ही बार प्राप्त होगा।

1.2.3 यदि पुनर्वासित इकाई के प्लांट एवं मशीनरी में अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो उसे नवीन इकाई मान्य कर, पात्रतानुसार नवीन इकाई को दी जाने वाली सुविधाएं दी जाएंगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :

(अ) प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की गणना पुनर्वासित इकाई की प्लांट एवं मशीनरी का वह ह्रासित मूल्य (Depreciated Value) लिया जाएगा, जो इकाई को बीआईएफआर द्वारा बीमार घोषित किये जाने के दिनांक को था।

(ब) इकाई अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्वासित करने पर उसमें निहित प्लांट एवं

मशीनरी में पूंजी निवेश की गणना के लिये क्रय मूल्य को मान्य किया जाएगा।

1.2.4 बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

1.2.5 अधिग्रहण/क्रय दिनांक तक इकाई पर स्थानीय निकायों के बकाया, जैसे जल कर, चुंगी कर, सम्पत्ति कर इत्यादि के वास्तविक देयक का यदि एक मुश्त भुगतान अधिग्रहण दिनांक से तीन माह में कर दिया जाता है, तो उस पर लगाई गई सम्पूर्ण ब्याज/शास्ति की राशि माफ कर दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण/क्रय दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (Prime Lending Rate) की दर से ब्याज देना होगा।

1.2.6 अधिग्रहित/क्रय इकाई औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के विकास केन्द्र में स्थित हो तो अधिग्रहणकर्ता द्वारा इकाई पर लंबित भू-भाटक, संधारण प्रभार तथा जल प्रदाय शुल्क की वास्तविक देयक का एक मुश्त भुगतान तीन माह की अवधि में करने पर ब्याज/शास्ति से पूर्णतः मुक्ति दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि ब्याज/शास्ति सहित को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (Prime Lending Rate) की दर से ब्याज देना होगा।

1.2.7 अधिग्रहण/क्रय करने से भूमि/भवन एवं अन्य आस्तियों के हस्तान्तरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतः छूट दी जावेगी।

1.2.8 अधिग्रहणकर्ता द्वारा नवीन अंशपूंजी के रूप में रू. 40 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्लांट एवं मशीनरी में किया जाता है तो इकाई को मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाई का दर्जा प्रदान किया जावेगा एवं अधिग्रहणकर्ता परियोजना के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु निवेश संवर्धन हेतु मंत्रि-परिषद समिति

(CCIP) के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

1.2.9 इस विशेष पैकेज के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ उन्हीं प्रकरणों में देने पर विचार किया जायेगा, जिनमें उद्योगों का अधिग्रहण/क्रय पूर्ण इकाई के रूप में किया गया हो।

1.2.10 अधिग्रहीत/खरीदी गई इकाई के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के ग्रोथ सेन्टर में स्थित होने पर अधिग्रहणकर्ता को भूमि हस्तांतरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

1.3 बीआईएफआर अपील प्रक्रिया : बीआईएफआर द्वारा निर्णित सभी प्रकरणों को सामान्यतः स्वीकार किया जाएगा। एएआईएफआर में अपील केवल उच्च स्तरीय समिति (HLC) के अनुमोदन के बाद की जा सकेगी। एएआईएफआर ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध दूसरे स्तर की अपील निवेश संवर्धन हेतु मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी।

उक्त सुविधाओं को मात्र किसी इकाई का अधिग्रहण या क्रय करने पर स्वयं लागू नहीं माना जाएगा। इन सुविधाओं में से सुविधा विशेष या सभी सुविधाओं को अधिकतम सीमा तक स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर पॉलिसी पैकेज, 2014 के अंतर्गत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति, प्रकरण विशेष में स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगी।

बीमार/बन्द इकाईयों के लिए प्रावधानित सुविधा/सहायता, परिशिष्ट-IV अनुसार सूची में उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिए लागू नहीं होगी।

---

2. राज्य में स्थित बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का "पॉलिसी पैकेज 2014"

"प्रदेश स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के बीमार उद्योग, जिनके संबधं में प्रकरण बी.आई.एफ.आर. के समक्ष बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रचलित हो एवं बी.आई.एफ.आर. द्वारा इन उद्योगों के पुनर्वास हेतु योजना तैयार की जा रही हो अथवा पुनर्वास योजना तैयार की जा चुकी हो, को पॉलिसी पैकेज, 2014 के अंतर्गत सुविधायें दी जा सकेगी :-

2.1 बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2.2 इकाईयों को उनके पास उपलब्ध अतिशेष भूमि बेचने/सब लीज पर देने की अनुमति आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी, बशर्ते कि वह भूमि औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र में स्थित न हो। भूमि उपयोग के आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की भी अनुमति दी जा सकेगी। इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि भूमि विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि केवल पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिए ही उपयोग में लाई जा सकेगी।

2.3 योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट आफ डेट' तक बकाया वाणिज्यिक करों/प्रवेश कर/वैट का शासन द्वारा सूचित निर्णय से तीन माह की अवधि में एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो वास्तविक कर अर्थात् Assesed Tax राशि जमा करने की सुविधा दी जाकर ब्याज/शास्ति पूर्णतः माफ किया जाएगा।

2.4 योजना की स्वीकृति के दिनांक या योजना में उल्लेखित 'कट आफ डेट' तक बकाया वाणिज्यिक कर/प्रवेश कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को योजना स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम 36 समान मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलंब होता है, तो उसपर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. की दर से ब्याज देना होगा।

बकाया वाणिज्यिक कर/प्रवेश कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को किश्तों में भुगतान की सुविधा, इकाई द्वारा देय किश्तों की राशि पोस्ट डेटेड चेक्स के रूप

में जमा करने तथा पब्लिक लि0 कंपनी के मामले में कार्पोरेट गारंटी एवं भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह पोस्ट डेटेड चेक्स कंपनी के प्रबंध संचालक अथवा मेनेजिंग पार्टनर (जो भी लागू हो) द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिये।

2.5 यदि इकाई द्वारा बकाया वाणिज्यिक कर का एक मुश्त भुगतान (उपरोक्त क्रमांक 2.3 के अनुसार) किया जाता है तो योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट ऑफ डेट' से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के अंतर्गत सुविधा दी जाएगी।

2.6 इकाई पर राज्य शासन के किसी विभाग/संस्था की यदि कोई बकाया राशि हो तो उसकी वसूली के लिए बैंक गारंटी हेतु आग्रह नहीं किया जाएगा।

2.7 इकाई को आवश्यकतानुसार पुनर्वास अवधि के लिए 'सहायता उपक्रम' घोषित किया जा सकेगा।

2.8 बीआईएफआर अपील प्रक्रिया :- बीआईएफआर द्वारा निर्णित सभी प्रकरणों को सामान्यतः स्वीकार किया जाएगा। एएआईएफआर में अपील केवल उच्च स्तरीय समिति (HLC) के अनुमोदन के बाद की जा सकेगी। एएआईएफआर ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध दूसरे स्तर की अपील निवेश संवर्धन हेतु मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी।

इस पैकेज में दर्शाई गई सुविधायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर लिये जाने वाले निर्णय, जो कि "पॉलिसी पेकेज, 2014" में उल्लेखित सुविधाओं की सीमा तक ही होगा, के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकेगी।

पॉलिसी पैकेज 2014 के अतिरिक्त उद्योग के पुनर्वास के लिए किसी विशेष सहायता/सुविधा की अपेक्षा यदि राज्य शासन से की जाती है, तो उस सुविधा विशेष पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि यह सुविधा दिये जाने योग्य पाई जाएगी तो समिति अपनी अनुशंसा संबंधित फोरम/समिति या मंत्रि-परिषद के निर्णय के लिए अग्रेषित कर सकेगी।

बीमार/बन्द इकाईयों के लिए प्रावधानित सुविधा/सहायता, परिशिष्ट-IV अनुसार सूची में उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिए लागू नहीं होगी।

3. बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना (मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम, 2014)

3.1 औद्योगिक रूग्णता के कारण बेरोजगारी, राज्य व केन्द्र सरकार की राजस्व हानि, संस्थागत वित्त में अवरोध एवं अनुत्पादक संपत्ति वृद्धि आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। लघु उद्योगों में रुग्णता के मुख्य कारण अप्रचलित तकनीक, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता, कुप्रबंधन, पूंजी का व्यपवर्तन, उद्यमिता/व्यवसायिकता की कमी, विपणन समस्या आदि चिन्हित किये जा सकते है। औद्योगिक रूग्णता, विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए रुग्णता की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर ठोस कदम उठाये जाना राज्य शासन व अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए वांछनीय होते हैं।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत शासन द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर-पुनर्वास योग्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु 'सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन्स्) एक्ट, 1985' के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. नामक वैधानिक संस्था स्थापित की गई है, परन्तु लघु उद्योग क्षेत्र बी.आई.एफ.आर. के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं आता है। उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य सरकारों जैसे गुजरात, आन्ध्रप्रदेश एवं कर्नाटक द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार लघु उद्योग एवं नॉन-बी.आई.एफ.आर. पुनर्वास योग्य बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं प्रतिपादित की गयी है। प्रदेश में पुनर्वास योग्य बीमार लघु उद्योग एवं गैर-बी.आई.एफ.आर. इकाईयों के पुनर्वास के लिए व्यापक पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश लघु श्रेणी उद्योग पुनर्जीवन योजना (MPSSIRS) नामक संशोधित योजना निम्नानुसार लागू की जाती है।

3.2 **शीर्षक (Title)** - यह योजना 'मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम (MPSSIRS), 2014 कहलायेगी।

3.3 **कार्यरत अवधि (Operation period)** - यह योजना आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

3.4 **प्रयोज्यता (Applicability)** - यह योजना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत केवल सूक्ष्म, लघु श्रेणी औद्योगिक इकाईयों/सहायक इकाईयों (बी.आई.एफ.आर. के लिए अपात्र), जिनके

संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में कुल पूंजी विनियोजन रू. 5.00 लाख से अधिक होगा, पर लागू होगी। विभाग की अनुदान योजनाओं एवं कर मुक्ति की सुविधा के लिये अपात्र औद्योगिक इकाईयाँ तथा सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के उद्यम उक्त योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।

3.5 परिभाषाएं (Definitions)

3.5.1 **बीमार इकाई (Sick Unit) -** कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई 'बीमार' समझी जावेगी यदि वित्तीय वर्ष 2008-09 अथवा बाद के वित्तीय वर्षों के इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :-

अ) इकाई का कोई भी उधारी लेखा छः माह से अधिक की अवधि के लिए निम्न स्तर पर बना रहे अर्थात् किसी भी उधारी लेखा के परिप्रेक्ष्य में मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ओवरड्यू बना रहे। यदि लेखा की वर्तमान स्थिति के निम्न स्तर पर होने की स्थिति में ड्यूकोर्स में कमी भी होती है, तो भी ओवरड्यू अवधि के एक वर्ष से अधिक होने की आवश्यकता अपरिवर्तित रहेगी।

या

इकाई के नेटवर्थ में क्षरण हुआ हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक हो।

ब) बंद इकाई के मामले में इकाई बंद होने के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष तक व्यावसायिक उत्पादनरत् रही हो, तथा ऐसी इकाई न्यूनतम लगातर 18 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो या वणिज्यिक कर का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, या अधिकार प्रदत्त समिति जिस कारण को उचित समझे।

स) लेखो का आशय उन अंकेक्षित लेखो से लिया जाएगा, जिसके संबंध में इकाई द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को सूचित किया गया हो अथवा लेखा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित हो।

3.5.2 नेट वर्थ (Net Worth) :

लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में नेट वर्थ का आशय, पेडअप पूंजी तथा फ्री-रिजर्व के योग से है। भागीदारी/स्वामित्व वाली इकाई के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय भागीदारों/ स्वामी की कुल पूंजी एवं फ्री-रिजर्व के योग से होगा।

3.5.3 फ्री-रिजर्वस (Free Reserves) :

फ्री-रिजर्व से आशय उस जमा पूंजी से है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम लेखा से प्राप्त हुई हो परन्तु इसमें एकीकरण प्रावधानों के अंतर्गत, आस्तियों के पुर्नमूल्याकंन तथा कम किये गये घसारा से निर्मित पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

3.5.4 बैंक (Bank) :

बैंक से आशय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वितीय शेड्यूल अनुसार शेड्यूल्ड बैंक तथा जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक से है।

3.5.5 वित्तीय संस्था (Financial Institution) :

वित्तीय संस्था से आशय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं इंवेस्टमेंट निगम, भारतीय औद्योगिक इंवेस्टमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम या अन्य संस्था से है जो औद्योगिक इकाईयों को स्थायी पूंजी हेतु ऋण देने के लिए अधिकृत है।

3.5.6 व्यवहार्य बीमार इकाई (Viable sick unit) :

व्यवहार्य बीमार इकाई का आशय, उत्पादन क्षेत्र की ऐसी इकाई से है, जिसमें संयंत्र व मशीनरी में रू. 5.00 लाख से अधिक पूंजी वैष्ठन हो एवं जो पुनर्वास पैकेज (जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी), योजना के क्रियान्वयन के पश्चात, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के पुनर्संरचित (Restructured) ऋण एवं ब्याज का पूर्णरूप से भुगतान करने के साथ-साथ राज्य शासन/केन्द्र शासन एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी आदि को देय देनदारी का भी भुगतान, पैकेज की क्रियान्वयन अवधि के भीतर कर सके।

3.5.7 भुगतान हेतु बकाया राशि (Dues payable) :

भुगतान हेतु बकाया वह राशि जो समस्त वैधानिक संस्थाएं जैसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलेक्टर, कस्टमस् व सेन्ट्रल एक्साईज, आयुक्त, आयकर, विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत वैधानिक बकाया क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी या अन्य संस्थाएं जिसे इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

3.5.8 अप्रैजल ऐंजेंसी (Appraisal Agency) :

ऐसी संस्था, जो इकाई, वित्तीय संस्था/बैंक तथा पुनःस्थापन समिति की सहमति पश्चात् बीमार इकाई की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु निर्धारित की जावे। यह संस्था कंडिका 3.8.2 में उल्लेखित अनुसार होगी।

3.5.9 राज्य सरकार (State Government) :

इससे आशय मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से है।

3.5.10 विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell) :

इससे आशय उद्योग आयुक्त द्वारा योजना के संचालन के उद्देश्य से बनाये गये प्रकोष्ठ विशेष से हैं।

3.5.11 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी :

इससे आशय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों से है।

3.5.12 पात्र आस्तियाँ (Eligible Assets) :

इससे आशय उन आस्तियों से है, जो पुनर्वास पैकेज के स्वीकृत होने से दो वर्ष के अन्दर निर्मित हो तथा यह एम.पी. एस.एस.आई.आर.एस. द्वारा बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए अनुमोदित अतिरिक्त पूंजी वैष्ठन की सीमा तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आस्तियाँ, जो उक्त उल्लेखित अवधि के पश्चात् प्राप्त/निर्मित की गई हो और/या भुगतान किया गया हो, विचारणीय नहीं होगी।

3.5.13 पात्र प्लांट एवं मशीनरी (Eligible Plant & Machinery) :

प्लांट एवं मशीनरी से आशय प्लांट एवं मशीनरी, भवन तथा शेड्स में किये गये निवेश से हैं, जिसमें भूमि तथा आवासीय इकाई (dwelling units) सम्मिलित नहीं होंगे।

3.5.14 टेक्नीकल नो-हाउ फी (Technical Know-how fee) :

इकाई के लिए तकनीकी ज्ञान हेतु दिया गया शुल्क या विदेशी प्रदायकर्ता को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रचलित नीति अनुसार अनुमोदित एक मुश्त शुल्क या राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को भुगतान किया गया शुल्क।

3.6 राहतें (Reliefs) :

जिन सूक्ष्म/लघु उद्योग, गैर-बी.आई.एफ.आर. बीमार औद्योगिक इकाईयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश शासन सिद्धांततः सहमत हो, उन्हें तद्नुसार निम्न राहत एवं रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी :

3.6.1 वित्तीय सहायता (Fiscal Reliefs) :

योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से निम्नानुसार रियायतें/सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

योजना के संचालन हेतु आवश्यक राशि एवं शासन व इसकी संस्थाओं को होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति की व्यवस्था वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के बजट में प्रावधान कर की जावेगी। राहत प्राप्त करने वाली इकाईयों की संख्या, उस वर्ष विशेष में उपलब्ध आवंटन के अनुसार सीमित की जाएंगी।

3.6.1.1 वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) :

इकाई को वणिज्यिक कर/प्रवेश कर/वैट की बकाया कर राशि अर्थात असेस्ड टैक्स (Assessed Tax) को ब्याज/शास्ति के साथ 36 समान मासिक किश्तों अथवा 12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी। इकाई स्वामी चाहे तो बकाया कर राशि (Assessed Tax) को बिना ब्याज/शास्ति के एक मुश्त भी जमा कर सकेगा।

3.6.1.2 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी :

योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी से संबंधित निम्नानुसार राहतें प्रदान की जावेगी :-

अ. इकाई की बंद अवधि का न्यूनतम प्रभार अधिकतम रु. एक लाख की सीमा तक माफ किया जाएगा, किंतु ऐसे प्रकरणों में, जिनमें इकाई ने राशि पूर्व से जमा कर दी है, न्यूनतम प्रभार की राशि वापस नहीं की जावेगी।

ब. ऐसे प्रकरणों, जहां पर देयकों का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेद हुआ हो अथवा एकतरफा अनुबंध निरस्त हुआ हो, में पुनर्संयोजन के लिये नवीन सुरक्षा निधि जमा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

स. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय विद्युत देयकों के एरियर्स की राशि को पुनर्वास योजना के स्वीकृत होने के दिनांक से छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी।

द. इकाई के बंद होने की अवधि में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को बकाया राशि पर देय ब्याज अधिकतम रू. एक लाख की सीमा तक माफ किया जाएगा। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु पुनर्सयोजन की स्थिति में देय अतिरिक्त सर्विस चार्ज अधिकतम रू. 25 हजार की सीमा तक माफ किया जाएगा।

ई. इकाई पर मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा लगाये गये पैनल चार्जेज को अधिकतम रू. 25 हजार की सीमा तक माफ किया जा सकेगा। उक्त के साथ ही बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

3.6.1.3 वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग (Commerce, Industry and Employment Department) :

अ. ऐसी लघु उद्योग इकाई, जिसकी पुनर्वास योजना स्वीकृत हुई हो, यदि पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत नवीन टर्म लोन चाहती है तो उसे इस पर मध्यप्रदेश शासन के विद्यमान नियमों के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

ब. व्यवहार्य बन्द इकाई को पुनर्वास दिनांक से नवीन इकाई की तरह सुविधायें दी जाएंगी। यदि अतिरिक्त पूंजी विनियोजन किया जाता है तो उस पर पात्रतानुसार उद्योग निवेश अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

3.6.1.4 पूर्व में स्वीकृत सुविधाओं का जारी रहना (Continuation of Incentives sanctioned earlier) :

यह योजना उस बीमार इकाई के लिए भी लागू होगी जिसके प्रबंधन में परिवर्तन हुआ हो। पूर्व इकाई को स्वीकृत सुविधाएं शेष पात्रता अवधि हेतु पुनर्जीवित इकाई को भी प्राप्त हो सकेंगी।

3.6.1.5 अतिरिक्त राहत (Additional Relief) :

उपरोक्त वित्तीय रियायतों के अतिरिक्त, इस योजना में संबंधित प्राधिकारियों को निम्न अतिरिक्त रियायतें देने की अनुशंसा की जा सकती हैः-

अ. पुनर्जीवन योजना लागू करने के फलस्वरूप पंजीकृत किये जाने वाले विभिन्न अनुबंधों पर 'स्टाम्प ड्यूटी' से मुक्ति।

ब. यह योजना सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से क्रियान्वित की जावेगी।

3.7 अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) :

मध्यप्रदेश शासन इस योजना के अंतर्गत पुनर्जीवन पैकेज स्वीकृत करने के लिए निम्न सदस्यों की एक अधिकार प्रदत्त समिति का गठन करता है -

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	सदस्य
4.	म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि जो संभागीय यंत्री स्तर से कम न हो	सदस्य
5.	अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक (L.D.M.)	सदस्य
6.	संबंधित बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	सिडबी के प्रतिनिधि (प्रकरण के सिडबी से संबंधित होने पर)	सदस्य
8.	मध्यप्रदेश वित्त निगम के प्रतिनिधि (प्रकरण के वित्त निगम से संबंधित होने पर)	सदस्य
9.	अप्राईजल एजेन्सी के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रतिनिधि, जो महाप्रबंधक स्तर से कम न हो	सदस्य
11.	संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
12.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को भी सम्मलित कर सकते हैं। कोरम की पूर्ति के लिए उपस्थित सदस्य संख्या के न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपस्थित होना आवश्यक होगा। यह समिति अंतिम निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी। समिति आवेदन प्राप्त होने से 90 दिवस में निर्णय लेगी। संबंधित आवेदक को निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाएगा।

समिति के सदस्य-सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वे, निश्चित समयावधि में बैठक आयोजित कर निर्णय करावें। यदि निर्णय निश्चित अवधि में न हो सके, तो उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को इस बाबत बैठक की तिथि के 15 दिवस में, स्पष्टीकरण दिया जाए।

3.8 प्रक्रिया (Procedure) :

3.8.1 प्रारंभिक परीक्षण, प्रकरण की पात्रता

(अ) कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक विवेचना की जाएगी एवं समिति के समक्ष रखे जाने योग्य पाये जाने पर प्रकरण को पंजीबद्व कर पंजीकरण क्रमांक जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 7 कार्य दिवस में पूरी की जावेगी। आवेदन पत्र का निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा।

(ब) सदस्यों के मध्य परिचालन

आवेदन के पंजीकरण के उपरांत समिति के सभी सदस्यों को पूर्ण आवेदन की प्रतियां उनके विभाग के अभिमत हेतु परिभ्रमित की जावेंगी। संबंधित सदस्यों को उनके विभाग के अभिमत के साथ समिति की बैठक में उपस्थित होना होगा। सदस्यों को उनके विभाग के मत हेतु 15 दिवस में कार्यवाही करनी होगी। संबंधित सदस्यों के विचार एवं अन्य संबंधित मुददों पर, प्रकरण के पंजीयन होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा होगी।

3.8.2 अप्रैजल हेतु अधिकृत कंसलटेंट को संदर्भ :-

आवेदक को अपने आवेदन, जिसमें राज्य शासन से अपेक्षित सहायता का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया हो, का अप्रैजल आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा प्रकाशित औद्योगिक कंसलटेन्टों या एम.पी. कॉन या मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र से कराना होगा। संबंधित कन्सलटेन्ट से यह स्पष्ट अनुशंसा करानी होगी कि इकाई का पुनर्जीविकरण संभव है अथवा नहीं ? कंसलटेन्ट से प्रतिवेदित योजना/प्रस्ताव आवेदक को अपने आवेदन में आवश्यक रूप से प्रस्तुंत करना होगा, जिसमें अन्य सम्बंधित समस्याओं यथा बैंकों/वित्तीय संस्था आदि से प्राप्त किये जाने वाली सहायता का भी स्पष्ट उल्लेख/सहमति दर्शायी गयी हो।

3.8.3 आवेदन शुल्क (Application fee) :

आवेदन शुल्क रू. 1,000 मात्र होगा।

3.8.4 अधिकार प्रदत्त समिति के सदस्यों के मध्य परिचालन (Circulation amongst the members of the Special Cell) :

अधिकार प्रदत्त समिति का कार्यालय, अप्रेजल एजेंसी के प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा एवं निश्चित करेगा कि यह योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही है। तत्पश्चात इस समिति के सदस्यों के मध्य इसका परिचालन किया जाएगा।

3.8.5 संबंधित एजेन्सियों के द्वारा स्वीकृतियां (Sanctions by the concerned agencies):

समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर संबंधित संस्थाएं रियायतों एवं सुविधाओं/परित्यागों पर अपनी सहमति 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रदान करेंगे। इस समय-सीमा में यदि वे अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें समिति को तदनुसार सूचित करना चाहिये एवं इस हेतु उन्हें राहतें एवं सुविधाऐं नहीं देने के संबंध में सशक्त कारण देने होंगे।

अधिकार प्रदत्त समिति का निर्णय राज्य शासन के सभी विभागों पर बंधनकारी होगा फिर भी यदि कोई विभाग किसी निर्णय पर पुर्नविचार कराना चाहे तो उसे तदाशय का प्रस्ताव सीधे वाणिज्य, उद्योग और रोज़गार विभाग, भोपाल के विचारार्थ प्रेषित करना होगा।

3.8.6 म.प्र. लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना अंतर्गत स्वीकृति (Sanction under MPSSIRS) :

उपरोक्त 30 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाने पर अधिकारप्रदत्त समिति बैठक में इकाई के प्रकरण पर विचार कर पुनर्जीवन पैकेज के संबंध में अन्तिम निर्णय लेगी।

3.8.7 आदेश जारी करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण (Time frame for issuance of orders) :

बीमार इकाई के पुनर्जीवन पैकेज से संबंधित राज्य शासन के विभाग एवं अन्य संस्थाएं बीमार इकाई को विभिन्न अधिनियमों/नियमों/नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिकारप्रदत्त समिति के निर्णयानुसार राहतें स्वीकृत करेंगी। समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इकाई को स्वीकृत

राहतें/सुविधाओं संबंधी अन्तिम आदेश जारी किया जाएगा। ऐसा न हो सकने की स्थिति में स्वमेव स्वीकृति दी गई, ऐसा मान्य किया जाएगा।

3.8.8 वित्तीय परित्याग का परिमाण (Quantum of Financial Sacrifice) :-

- पुनर्जीवन पैकेज का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि राज्य शासन/मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किये जाने वाले वित्तीय परित्याग की राशि, वित्तीय संस्था/बैंक के द्वारा किये जाने वाले वित्तीय परित्याग से अधिक नहीं हो । यह शर्त उस इकाई के प्रकरण में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा राज्य शासन को वर्तमान पैकेज में सहायता के लिये अनुरोध किये जाने के दिनांक तक किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई हो। वित्तीय परित्याग की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगा :
- इकाई को किश्तों में एरियर भुगतान की सुविधा के लिये राज्य शासन द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज दर मान्य किया जाएगा। राज्य शासन साधारणतः एरियर्स की वसूली दाण्डिक ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर करती है अतःदोनों ब्याज दरों में अन्तर अर्थात 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर राज्य शासन की ओर से वित्तीय त्याग माना जाएगा।
- मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दी जाने वाली राहत एवं छूट मुक्ति के रूप में होगी, उदाहरणस्वरूप विद्युत विच्छेद बिलों की अदायगी न करने के कारण अथवा एक तरफा अनुबंध के विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण नवीन सुरक्षा राशि जमा करने से एवं बन्द अवधि के न्यूनतम प्रभार से छूट रहेगी।
- ऐसे प्रकरणों में मुक्ति सुविधा के रूप में दी जा रही जमा सुरक्षा राशि/न्यूनतम प्रभार का कुल योग एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जिसकी गणना जमा राशि के भुगतान दिनांक से पुर्नजीवन पैकेज की समाप्ति के दिनांक तक होगी, को परित्याग की राशि माना जाएगा।

3.8.9 राहत देने हेतु शर्तें एवं निबंधन (Terms and Conditions for Grant of Relief) :

अ. अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त करने वाली इकाई की समयबद्ध समीक्षा की जावेगी, जो वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त होगी। पुनर्जीवन अवधि में इकाई को अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा अनुमोदित किसी चार्टर्ड अकाउंटेट फर्म से लेखा परीक्षण कराना होगा। ऐसी इकाईयां जो इस योजनान्तर्गत राहत प्राप्त करेंगी, न तो डिवीडेण्ड घोषित करेंगी और न ही पुनर्जीवन पैकेज के कार्यकाल में प्रमोटर्स द्वारा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज ही देंगी।

ब. इस योजनान्तर्गत सुविधा प्राप्त कर रही औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियन्त्रण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित मापदण्ड अनुसार प्रभावी कदम लेगी एवं इसका संचालन चालू हालत में बनाये रखेगी।

स. औद्योगिक इकाई कम से कम योजनान्तर्गत दी गई पुनर्जीवन अवधि के समाप्त होने तक लगातार उत्पादनरत् रहेगी।

द. औद्योगिक इकाई राज्य शासन द्वारा एवं अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा समय-समय पर चाहे जाने पर अपने उत्पादन, रोजगार एवं अन्य जानकारी के विस्तृत विवरण उपलब्ध करायेगी।

उक्त पुनर्जीवन योजना में प्रावधानित सुविधा/सहायता, परिशिष्ट-IV अनुसार सूची में उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिए लागू नहीं होगी।

-----

4. अपात्र उद्योगों की सूची

स. क्र.	अपात्र उद्योग की सूची
1	बियर और शराब (वाइनरी को छोड़कर)
2	स्लॉटर हाउस और मांस पर आधारित उद्योग
3	सभी प्रकारों के पान मसाला और गुटका विनिर्माण
4	तंबाकू और तंबाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5	40 माइक्रोन या इससे कम के प्लास्टिक बैग्स का विनिर्माण
6	केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयां
7	स्टोन क्रशर
8	खनिजों की पिसाई
9	राज्य सरकार/राज्य सरकार उपक्रमों के अशोधी/चूककर्ता
10	सभी प्रकार की खनन गतिविधियॉं (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हों)
11	व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां
12	लकड़ी के कोयले (चारकोल) का विनिर्माण
13	खाद्य तेलों की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई) एवं सोयाबीन तेल उत्पादक इकाइयां (रिफाइनरी के साथ)
14	सीमेंट (क्लिंकर सहित) विनिर्माण
15	सभी प्रकार के प्रकाशन एवं मुद्रण प्रक्रियाए (रोटोग्रेवर/फ्लेक्स प्रिंटिग को छोड़कर)

स. क्र.	अपात्र उद्योग की सूची
16	सोने एवं चांदी के बुलियन से निर्मित आभूषण एवं अन्य वस्तुए
17	आरा मिल एवं लकड़ी की प्लेनिंग
18	लोहे/स्टील के स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉक्स एवं अन्य किसी आकार में बदलना
19	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य कोई उद्योग

नोट :- यह दस्तावेज राज्य शासन द्वारा अनुमोदित उद्योग संवर्धन नीति 2014 (अंग्रेजी संस्करण) का हिन्दी अनुवाद है।